I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 22/07/2022 15:50 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	201
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	466
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 04/03/2010 **Date To (दिनांक तक):** 08/05/2013

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/07/2022 **Time (समय):** 13:50 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 22/07/2022 14:51 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 12 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड,कल्याण विभाग चण्डीगढ

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक जयपाल A 50

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1968 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजीव कुमार शर्मा संचालक प्रशिक्षण संस्थान		Father's Name: स्व0 श्री एच.एल. शर्मा	1. मकान नं0 5787-बी,सैक्टर-38-सी,चण्डीगढ CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
2	वेद प्रकाश धीमान संचालक प्रशिक्षण संस्थान		Father's Name: स्व0 श्री रामसरूप	1. गांव बोडा खेडा,पोओ जटवाड,तहसील नारायणगढAMBALA,HARYANA,INDIA
3	बलिन्द्र सिंह सहायक कार्यालय निदेशक अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण		Father's Name: सूरजमल	1. वासी गांव बुढाखेडा लाठर,JIND,HARYANA,INDIA
4	भारत भूषण सेवानिवृत तत्कालीन उप अधीक्षक प्रशिक्षण अनुसूचित जातिय एंव पिछडे वर्ग		Father's Name: औम प्रकाश	1. मकान नं0 251 एकता,विहार बल्टाना जिला मोहालीSAS NAGAR,PUNJAB,INDIA
5	महाराज सिंह सेवादार कार्यालय निदेशक अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्		Father's Name: श्री राम सहाय	1. मकान नं0 2082 ए सैक्टर-24 सी,CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
6	भागमल लिपिक वर्तमान लेखाकारकमलिपिक जिला कल्याण अधिकारी अम्बाला		Father's Name: श्री गरीबदास	1. हरिजन महौल्ला गांव,बिलासपुर, SHAHZADPUR,AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो,पंचकुला मण्डल, पंचकुला। श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 04.01.2016 पंचकूला की पड़ताल निरीक्षक जयपाल नं0 ए/50, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर द्वारा की गई थी।

जिसकी पडताल पर पाया गया कि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग, कल्याण विभाग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ के अधीन वर्ष 2010 से 2013 में अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओ को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिये निशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने की योजना चलाई गई थी।

जिसमें प्रशिक्षण संस्थान Kiwi Maple Education Aboard Pvt. Ltd, S.C.O 153 Sector-37-C, Chandigarh को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग, कल्याण विभाग से इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के 138 छात्र/छात्राओं को DET course का प्रशिक्षण दिये जाने के लिये 4,000/रू प्रति छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित कुल 06,08,856/अदा किये जाने पाये गये। जांच के दौरान इस संस्था के संचालक को शामिल जांच करने के लिये कई बार प्रयास किया गया। इस संस्था का संचालक राजीव शर्मा पिछले कई वर्षों से कनाडा में रहना पाया गया। जिसने अपना जवाब अपनी ईमेल ¼sharmarajiv5787@gmail.com½ से राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर की सरकारी ईमेल (inspsvbynr@gmail.com) पर भेजा था। जिसने इस सम्बन्ध में अभी भारत आने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी व जांच के सम्बन्ध में भी कोई रिकार्ड पेश नही किया था दौराने जांच विभाग से प्राप्त किये गये आवेदन फार्मो के 15 छात्रों को शामिल जांच किया गया था। उक्त सभी 15 छात्रों ने ब्यान किया था कि उनके द्वारा इस संस्थान में कभी कोई प्रशिक्षण नही लिया गया।

इसी प्रकार प्रशिक्षण संस्थान Gateway, S.C.O 221 Sector-36-D, Chandigarh को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग, कल्याण विभाग से इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं Bank Clerk के 902 छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिये 5000/रू प्रति छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित कुल 49,74,530/रू तथा HTET परीक्षा की तैयारी के लिये कुल 1697 छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने के लिये 3000/रू प्रति छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित 56,15,373/रू अनुसार कुल 01,05,89,903/रू का भुगतान किया गया।

परन्तु जांच के दौरान इस संस्थान द्वारा उपरोक्त छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ द्वारा केवल 123 छात्रों के आवेदन फार्म व छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये व 2476 छात्रों का कोई रिकार्ड विभाग ने पेश नही किया । पेश किये गये 123 आवेदन फार्मो का अवलोकन से अधिकांश छात्रों की शैक्षणिक योग्यता आठवीं, दसवी पाई गई है। जिनमें से 33 छात्रों/अभिभावको को जांच में शामिल किया गया था जो सभी के द्वारा ब्यान किया गया कि उनके द्वारा इस संस्थान में Bank Clerk, HTET की परीक्षा की कोई कोचिंग नही ली है। जांच के दौरान इस संस्था के संचालक श्री वेद प्रकाश धीमान को शामिल जांच किया गया था जिसने उसके उपरोक्त संस्थान द्वारा सरकार की योजना अनुसार जांच से सम्बन्धित अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के छात्रों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये दिये गये प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे रिकार्ड प्रस्तुत करने बारे अपनी असमर्थता प्रकट की तथा इस पेमैन्ट में उसकी संस्था को अनुसूचित जातिय एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सर्विस टैक्स के रूप में दी गई राशी 9,88,906/रू के बारे में पुछने पर भी वह यह नही बता सके की उनकी संस्था के द्वारा यह राशी सर्विस टैक्स विभाग में जमा करवाई गई है।

इसी प्रकार प्रशिक्षण संस्थान Master Mind Classes S.C.O 221 Sector-36, Chandigarh को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग, कल्याण विभाग से इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं AIEEE की 720 छात्रों की कोचिंग के लिये 6000/रू प्रत्येक छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित कुल 47,64,960/रू, LEET के 693 छात्रों की कोचिंग के लिये 6000/रू प्रत्येक छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित कुल 45,86,274/रू, PMT के 580 छात्रों की कोचिंग के लिये 10,000/रू प्रत्येक छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित कुल 62,76,070/रू, DET के 993 छात्रों की कोचिंग के लिये 4,000/रू प्रत्येक छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित कुल 43,81,116/रू, HTET के 1667 छात्रों की कोचिंग के लिये 3,000/रू प्रत्येक छात्र की दर से सर्विस टैक्स सहित कुल 55,16,103/रू अदा किये गये।

इस संस्थान को जांच अवधि वर्ष 2010 से 2013 में अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग के कुल 4653 छात्र/छात्राओं की उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सर्विस टैक्स सहित कुल 02,55,24,523/रू की राशी का भुगतान किया गया। परन्तु अनुसूचित जाति एंव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जांच में अनुसूचित जाति के छात्रों के केवल 44 आवेदन फार्म ही उपलब्ध करवाये गये बकाया 4609 छात्रों का कोई रिकार्ड विभाग द्वारा पेश नही किया गया तथा जांच के दौरान संस्था से भी रिकार्ड प्राप्त करने का प्रयास किया गया लेकिन उक्त पते पर इस सस्था का कोई कार्यालय होना नही पाया गया। विभाग से प्राप्त किये गये 44 आवेदन फार्मो के आधार पर उक्त छात्रों में से 10 छात्रों को शामिल जांच किया गया जो सभी ने उपरोक्त उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की इस संस्थान से कोई कोचिंग नही लिया जाना ब्यान किया। जांच के दौरान इस संस्था के संचालक श्री वेद प्रकाश धीमान को शामिल जांच किया गया जिसने उसके उपरोक्त संस्थान द्वारा सरकार की योजना अनुसार जांच से सम्बन्धित अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के छात्रों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये दिये गये प्रशिक्षण के सम्बन्ध में रिकार्ड प्रस्तुत करने बारे अपनी असमर्थता प्रकट की तथा इस पेमैन्ट में उसकी संस्था को अनुसूचित जातिय एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सर्विस टैक्स के रूप में दी गई राशी 23,83,523/रू के बारे में पुछने पर भी वह यह नही बता सके के उनकी संस्था के द्वारा यह राशी सर्विस टैक्स विभाग में जमा करवाई गई है।

उपरोक्त तीनो संस्थानों के संचालको द्वारा अनुसूचित जातिय एव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा चण्डीगढ की प्रशिक्षण शाखा के तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी, श्री बिलेन्द्र सिंह सहायक पुत्र श्री सुरजमल वासी गांव बुढाखेडा लाठर, जिला जीन्द व श्री भारतभूषण उप अधीक्षक प्रशिक्षण पुत्र श्री औम प्रकाश वासी मकान नं0 251 एकता विहार बल्टाना, जिला मौहाली, पंजाब से आपसी मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जाति एव पिछडे वर्ग के छात्र/छात्राओं की उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के निशुल्क प्रशिक्षण की योजना में फर्जी हाजरी दिखा कर व फर्जी आवेदन फार्म लगवाकर कुल 03,67,23,282/रू सरकारी धन का गबन करके अपराध जेर धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471 व 120 बी. भा.दं.सं. सन् 1860 का किया जाना पाया गया था। जिनके विरूद्व जेर धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471 व 120 बी. भा.दं.सं. सन् 1860 के तहत अभियोग दर्ज करने व विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका को दौराने अनुसंधान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

इसके अतिरिक्त सयुंक्त सचिव, अनुसुचित जाति एवम पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ के द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 417-SW(1)-2014 दिनांक 24.06.2014 के माध्यम से, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सर्तकता विभाग को कोचिंग सस्थानो में भुगतान से सम्बन्धित अनियमित्ताओ के बारे मे अनुसधांन करने के लिये अनुरोध किया गया था, उस पत्र को डिसपैच करने व डाक बही मे इन्द्राज करने की जिम्मेवारी भागमल लिपिक की थी और जब डाक बही भर जाती थी तो वह डाक बही उसके चार्ज मे रहती थी। उस पत्र को डाक बही के साथ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सर्तकता विभाग के कार्यालय मे भिजवाने की जिम्मेवारी श्री महाराज सिह सेवादार कार्यालय निदेशक, अनुसूचित जातिया एंव

पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ की थी। जो कि महाराज सिह सेवादार ने उक्त पत्र को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सर्तकता विभाग के कार्यालय मे ना देकर तथा भागमल लिपिक ने जानभुझ कर उपरोक्त आरोपीयान से मिली भगत करके डाक बही (दिनांक 27.02.2014 से 08.07.2014) को गुम करके अपराध जेर धारा 201, 120 बी, भा0दं0सं0 का किया जाना पाया गया।

जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला की टिप्पणी पत्र क्रमांक 11328 दिंनाक 23.07.2021 अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 56/8/2013-1 चौ0-1 दिंनाक 31.05.2022 तथा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 10548/आई-1/एस.वी.बी(एच) दिनांक 04.07.2022 अनुसार श्री राजीव कुमार शर्मा, श्री वेद प्रकाश धीमान, श्री बलिन्द्र सिंह सहायक, श्री भारत भूषण उप अधीक्षक के विरूद्ध भा.दं.सं की धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है।

अतः श्री राजीव कुमार शर्मा, पुत्र स्व0 श्री एच.एल. शर्मा वासी मकान नं0 5787-बी, सैक्टर-38-सी, चण्डीगढ, संचालक प्रशिक्षण संस्थान Kiwi Maple Education Aboard Pvt. Ltd, S.C.O 153 Sector-37-C, Chandigarh, श्री वेद प्रकाश धीमान, पुत्र स्व0 श्री रामसरूप वासी गांव बोडा खेडा, पो.ओ. जटवाड, तहसील नारायणगढ जिला अम्बाला संचालक प्रशिक्षण संस्थान Gateway, S.C.O 221 Sector-36-D, Chandigarh Master Mind Classes S.C.O 221 Sector-36, Chandigarh, श्री बलिन्द्र सिंह सहायक, कार्यालय निदेशक अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ पुत्र श्री सूरजमल, वासी गांव बुढाखेडा लाठर, जिला जींद, श्री भारत भूषण पुत्र श्री औम प्रकाश वासी मकान नं0 251 एकता विहार बल्टाना जिला मोहाली, पंजाब, तत्कालीन उप अधीक्षक प्रशिक्षण, अनुसूचित जातिय एंव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग सैक्टर-17, चण्डीगढ हाल सेवानिवृत, श्री महाराज सिंह, सेवादार, कार्यालय निदेशक,अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ पुत्र श्री राम सहाय वासी गांव रामनगर थाना कागारोल जिला आगरा हालः निवासी मकान नं0 2082 ए सैक्टर-24 सी, चण्डीगढ, श्री भागमल लिपिक वर्तमान लेखाकार-कम-लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी अम्बाला पुत्र श्री गरीबदास, वासी हरिजन महौल्ला गांव बिलासपुर थाना शहजादपुर जिला अम्बाला के विरूद्ध भा.दं.सं की धारा 201, 409, 420, 466, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर करने हेतु लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां बजरिया स्पेशल मैसेन्जर व ईमेल के माध्यम से स्पेशल कोर्ट पंचकूला वा उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जाये। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए उच्च अधिकारीगण के आदेश अनुसार सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जाये। हस्ताक्षर जयपाल, (जयपाल) निरीक्षक/अनुसंधान अधिकारी, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर-17, पंचकुला । दिनांक 06.07.2022 समय 1.50 PM पुलिस कार्यवाही:-उपरोक्त तहरीर पर अभियाग नम्बर 07 दिनांक 22.07.2022 धारा 201, 409, 420, 466, 467, 468, 471व 120बी भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया । प्र0सू0रि0 की प्रतियां इलाका मैजीस्ट्रैट कोर्ट पंचकुला की सेवा मे ईमेल के माध्यम से व उच्च अधिकारियो की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** JAI PAL **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): A50 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pankaj Nain

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1967				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1966				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	1960				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	1974				**Is pox pitted:** Yes
6	Male	1970				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)